

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 3073/एक/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक
18.05.2015 - पारित द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर - प्रकरण
क्रमांक 362 अ-21/2013-14

केशलाल मार्को पुत्र अमानी सिंह
ग्राम इन्द्रा पिपरिया वरेला
तहसील व जिला जबलपुर

---अपीलांत

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
- 2- अशोककुमार पटैल पुत्र तोडीलाल
निवासी 23 म.नं. 16, पुरानी वस्ती
कजरवारा जबलपुर
- 3- गुरुदत्त व्यास पुत्र हरदत्त व्यास
22 म.नं. 16 पुरानी वस्ती
कजरवारा जबलपुर मध्य प्रदेश

----रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांत की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18- 9 - 2015 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक
362 अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2015
के विरुद्ध म.प्र. भू राज. संहिता, 1959 की धारा 44 के तहत
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अपीलार्थी ने कलेक्टर



जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम इन्द्रा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 509/2 रकबा 0.71 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विक्रय करना चाहता है एवं उसके द्वारा रिस्पा0 क्रमांक 2 व 3 से विक्रय अनुबंध कर लिया है। इस भूमि को विक्रय करने वाद प्राप्त पैसे से वह ग्राम इन्द्रा, महगवां, पिटकुही कलॉ , देवरीकला मोहनी में धारित कुल किता 14 कुल रकबा 11.49 हैक्टर को उपजाउ बनाने के लिये खर्च करेगा, जिसके कारण भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 362 अ-21/2013-14 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एवं अपर तहसीलदार खमहरिया से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 18.5.2015 से प्रकरण अदम पैरबी में खारिज कर दिया। परिणामतः अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन भी निरस्त हो गया। इसी आदेश से पीड़ित के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 18.5.2015 से प्रकरण अदम पैरबी में खारिज कर दिया गया है, जिसके कारण अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन भी निरस्त हो गया है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपीलांट को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करना चाहिये था जो नहीं किया गया। अवधि विधान की




धारा-5 में दिये गये तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया गया कि जब अपीलांट कलेक्टर में प्रकरण की जानकारी लेने 20.8.15 को गया तब उसे प्रकरण खारिज होने का पता चला, उसके बाद प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के बाद ग्वालियर आकर अपील करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। अपीलांट की ओर से विलम्ब हेतु दिया कारण वैसे भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 18.5.15 से प्रकरण अदम पैरबी में खारिज किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभाविक पाये जाने से क्षमा किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है।

5/ जहाँ कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण आदेश दिनांक 18.5.15 से अदम पैरबी में निरस्त किये जाने का प्रश्न है ? प्रकरण में बतलाई गई परिस्थितियों अनुसार अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एवं अपर तहसीलदार खम्हरिया से कराई गई हे एवं उनकी ओर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने अपीलांट को सुनवाई हेतु सूचना न देते हुये प्रकरण दिनांक 18.5.15 से अदम पैरबी में निरस्त किया है परिणाम-स्वरूप अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन गुण-दोष पर विचार किये जाने से रह गया एवं अपीलांट न्याय पाने से बंचित हो गया और इन्हीं कारणों से कलेक्टर द्वारा दिया गया आदेश दि. 18-5-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से देखना है कि क्या अपीलांट वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1. अपर तहसीलदार खम्हरिया ने अपीलांट के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसके पद



4 में बताया गया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरांत भूमि विक्रय होती है इसके बाद आवेदक के पास 7.92 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा एवं उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

1. प्रतिवेदन के पद 6 में बताया गया है कि आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदित भूमि पट्टे की भूमि नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांत की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा अर्जित भूमि है और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि पर पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत होने पर पट्टाग्रहीता भी भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।


5/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलिखित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांत के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है। अपीलांत अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण अपीलांत ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। अपीलांत ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गार्ड लाइन के मान से निर्धारित दर पर रिस्पा0 क्रमांक 2 व 3 के साथ किया है, जो शासन द्वारा निर्धारित गार्ड लाइन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है।



परिणामतः अपीलांट को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 362 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर न्यायदान की दृष्टि से अपीलांट को ग्राम इन्द्रा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 509/2 रकबा 0.71 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गार्डेड लायन के मान से अपीलांट विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं- उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।




(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर